

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)


एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2014

जयपुर,दिनांक

9 JAN 2015


—:आदेश:—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.12.2014 के क्रम में आदेश में वर्णित क्रम संख्या 5 में वर्णित श्री मोहनलाल सैनी द्वारा आदेश की अनुपालना में उपस्थित नहीं हुए हैं अतः निर्देशानुसार विशेषाधिकारी आयोजना विभाग, स्टेट इनोवेशन कॉन्सिल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1 (24)प्लान/एस.आई.सी./2014 दिनांक 09.01.2015 के क्रम में Young Interns Program 2014 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी श्री यशवर्धन सिंह को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आवंटित किया जाता है। आदेश की अनुपालना में श्री यशवर्धन सिंह को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद में अपनी उपस्थिति दें।


(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य मिशन निदेशक, (एस.एम.डी.) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद उधोग भवन जयपुर।
2. संबंधित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उनको आवंटित विभाग में तत्काल उपस्थित होकर अन्डरटैकिंग एवं इन्टर्न मास्टर डाटा की छायाप्रति प्रेषित करें।
3. विशेषाधिकारी स्टेट इनोवेशन कॉन्सिल आयोजना विभाग उनके कार्यालय आदेश दिनांक 09.01.2015 के क्रम में अभ्यर्थी की कार्यग्रहण रिपोर्ट, अन्डरटैकिंग एवं इन्टर्न मास्टर डाटा की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.राज. विभाग राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त(महानरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग राज., जयपुर।
8. समस्त योजना प्रभारी (मुख्यालय) ग्रामीण विकास विभाग।
9. श्री कन्हैयालाल सेवानी, प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10. रक्षित पत्रावली।


(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)